10-11-2021

पत्रावली पेश हुई। श्री विनोद कुमार शर्मा, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी अनुपस्थित। प्रतिवादी अनुपस्थित। प्रकरण में प्रतिवादी मीठालाल माली पुत्र हेमाराम माली, जाति– माली, निवासी– आदरा चौराहा, रिक्को ऑफिस के सामने, विवेकानन्द कॉलोनी, सिरोही, जिला– सिरोही ने इस न्यायालय में दिनांक 02.11.2021 को उपस्थित होकर लिखित जवाब प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि दिनांक 02.12.2020 को मेरी फर्म अम्बिका जनरल स्टोर, शांतिनगर, सिरोही से खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा द्वारा मूंग मोगर (जय डबल हाथी ब्राण्ड) का नमूना जो लिया गया है जो जांच रिपोर्ट के अनुसार मिसब्राण्ड पाया गया है। नमूना 30 किलोग्राम के पैक कट्टे को खोल कर लिया गया था। दाल में किसी भी प्रकार की मिलावट नही पाई गई है। कट्टे पर पैकिंग तिथि व बेच नंबर अंकित नही था। मैनें उक्त

........लगातार

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 17:56:40 IST
Reason: SelfAttested

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case. N0.27/2021	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल में जारी हुए
	दाल सुमेरपुर के फर्म से बिल सहित खरीद किया था, लेकिन उस बिल में मूंग मोगर का ब्राण्ड नही लिखा था। भविष्य में ब्राण्ड सहित खाद्य सामग्री प्राप्त करके ही बेचान करुंगा। इस संबंध में मेरी गलती स्वीकार करता हूँ। कृपया मुझे इस मुकदमें से मुक्त करावे। प्रकरण में नियत दिनांक 02.11.2021 को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित नही हुये। प्रतिवादी मीठालाल माली द्वारा दिनांक 02.11.2021 को उक्तानुसार लिखित जवाब प्रस्तुत कर गलती/जुर्म स्वीकार कर लिये जाने से दिनांक 02.11.2021 को ही प्रतिवादी को सुना गया। प्रतिवादी मीठालाल माली ने जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए कम जुर्माना करने का अनुरोध किया। प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली का अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री विनोद कुमार शर्मा, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 02.12. 2020 को समय 3.00 पी.एम. पर फर्म अम्बिका जनरल स्टोर, शॉ नं. 5, शांति नगर, सिरोही, जिला– सिरोही पर गये। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता व मालिक की हैसियत से प्रतिवादी मीठालाल माली पुत्र हेमाराम माली, जाति– माली, निवासी– अनादरा चौराहा, रिक्को ऑफिस के सामने, विवेकानन्द कॉलोनी, सिरोही, जिला– सिरोही उपस्थित मिले, जो आम जनता को खाद्य पदार्थ मूंग मोगर (जय डबल हाथी ब्राण्ड) बेचता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग आने वाले खाद्य पदार्थ मूंग मोगर (जय डबल हाथी ब्राण्ड) के अमानक होने का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर करते हुए इसकी सूचना मौके पर उपस्थित गवाह के समक्ष प्रपत्र 5ए में विक्रेता/खाद्य कारोबारकर्ता मीठालाल माली को भरकर दी व रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दुकान के अन्दर बिक्री हेतु मौजूद पैक्ड बैग में मूंग मोगर (जय डबल हाथी ब्राण्ड) लगभग 30 किलोग्राम को खोलकर अच्छी तरह से हिलामिलाकर एकरुप किया व इस एकरुप किये हुए मूंग मोगर (जय डबल हाथी ब्राण्ड) में से 4 किलोग्राम मूंग मोगर (जय डबल हाथी ब्राण्ड) जांच हेतु एक साफ, सूखे, खाली भिगोनें में खरीदा एवं मूंग मोगर (जय डबल हाथी ब्राण्ड) की कीमत राशि रुपये 420/– (रुपये चार सौ बीस मात्र) विक्रेता मीठालाल माली को नकद अदा कर खरीद रसीद/बिल प्राप्त किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लेबल तैयार कर लेबल पर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) के कोड एवं क्रमांक S-1302, दिनांक, [illegible] पदार्थ मूंग मोगर (जय डबल हाथी ब्राण्ड) आदि [illegible] कारोबारकर्ता, गवाह के हस्ता[illegible] सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। [illegible] मोगर (जय डबल हाथी ब्राण्ड) को प्लास्टिक जारों में बराब[illegible]राबर भरा व चारों प्लास्टिक के जारों पर एक–एक लेबल गोंद से चिपकाया एवं एक जार के ....लगातार	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 17:56:40 IST
Reason: SelfAttested

[illegible]. जिला [illegible]
सिरोही-307001.

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case. N0.27/2021	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल मे जारी हुए

साथ नमूने का मूल लेबल लगाया, फिर चारों प्लास्टिक चारों को ढक्कन से एयरटाईट बंद किया। चारों नमूना भागों को अलग–अलग कागज में लपेट कर, प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता व गवाह के हस्ताक्षर कराये व स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् चारों नमूना भागों को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कब्जे/जाप्ते में लिया तथा मौका रिपोर्ट तैयार की, जिस पर विक्रेता, गवाह व आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर है। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में पॅहुचकर फार्म नम्बर VI की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूनें को सीलड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर VI की एक–एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बंद किया व नियमानुसार सील चपडी किया तथा फार्म नम्बर VI की की दो–दो प्रतियां दो लिफाफो में अलग–अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर लिफाफों को सील चपडी किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 03.12.2020 को नमूनें का एक भाग व फार्म नम्बर 6 का एक सील बन्द लिफाफा भावना देवी, वार्ड बॉय, कार्यलय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म अम्बिका जनरल स्टोर, शॉप नं. 5, शांतिनगर, सिरोही, जिला– सिरोही में खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता मीठालाल माली से खाद्य पदार्थ मूंग मोगर (जय डबल हाथी ब्राण्ड) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है। प्रकरण में खाद्य विश्लेषक, जोधपुर से खाद्य पदार्थ मूंग मोगर (जय डबल हाथी ब्राण्ड) के नमूना संख्या S-1302 की प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांकः L.S./1013/Act/2020/1011 दिनांक 29.12.2020 के अनुसार खाद्य पदार्थ मूंग मोगर (जय डबल हाथी ब्राण्ड) का नमूना मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया। प्रकरण में यह तथ्य भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी मीठालाल ने खाद्य पदार्थ मूंग मोगर (जय डबल हाथी ब्राण्ड) के क्रय का बिल प्रस्तुत नही किया है। इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रतिवादी मीठालाल माली ने मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ मूंग मोगर (जय डबल हाथी ब्राण्ड) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप[illegible] का उल्लंघन किया है, जो अधिनियम की धारा 52 के तह[illegible] अपराध है।

अतः खाद्य सुर[illegible] 68 की उपधारा (1) के तह[illegible] अधिसूचना क्रमांक

.........लगातार

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 17:56:40 IST
Reason: SelfAttested

d

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case. N0.27/2021	
	प.1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा– 52 के तहत प्रतिवादी मीठालाल माली पुत्र हेमाराम माली, जाति– माली, निवासी– अनादरा चौराहा, रिक्को ऑफिस के सामने, विवेकानन्द कॉलोनी, सिरोही, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, अम्बिका जनरल स्टोर, शॉप नं. 5 शांतिनगर, सिरोही, जिला– सिरोही पर राशि रुपये 25,000/– (अक्षरे रुपये पच्चीस हजार मात्र) का जुर्माना आरोपित किया जाता है। साथ ही, प्रतिवादी मीठालाल माली को आदेशित किया जाता है कि उक्त आरोपित जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 15 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय की प्रति संबंधित को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 01.12.2021 को पेश हो। (के.आर.खौड़) अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सिरोही	

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 17:56:40 IST
Reason: SelfAttested